पत्रांक–8 / RTE 15–03 / 2023
शिक्षा विभाग, बिहार।
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

पंकज कुमार, भा०प्र०से०
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।

विषय :– शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (C) के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से करने हेतु दिशा निर्देश ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ज्ञानदीप पोर्टल दिनांक 01.09.2023 से Go Live किया जा रहा है। उक्त पोर्टल पर प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों का पंजीकरण, छात्रों की प्रविष्टि, सत्यापन एवं प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से किए जाने से संबंधित अपेक्षित दिशा निर्देश संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन

31/8/2023

(पंकज कुमार)

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

ज्ञापांक–8 / RTE 15–03 / 2023...816...... पटना, दिनांक 31/8/23

प्रतिलिपिः– सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक / सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/8/2023

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

KUMARI/HINDI LETTER BAL SIR

<u>शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, की धारा 12(1)(c) के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों का पंजीकरण, छात्रों की प्रविष्टि एवं सत्यापन तथा प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से करने हेतु दिशानिर्देश:-</u>

शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, की धारा 12(1)(c) एवं बिहार राज्य बच्चो की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011, के नियम 11 के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में 25% अलाभकारी एवं कमजोर समूह के बच्चो के नामांकन एवं नामांकित बच्चों के लिए सम्बंधित विद्यालय राशि की प्रतिपूर्ति हेतु ज्ञानदीप (GYANDEEP) पोर्टल विकसित किया गया है। RTE के तहत विद्यालयों का पंजीकरण, अलाभकारी एवं कमजोर समूह के बच्चों की प्रविष्टि, जिला स्तर से विद्यालयवार प्रविष्टि की जाँच, विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की राशि की स्वीकृति एवं भुगतान आदि सभी प्रक्रियाएँ इसी पोर्टल के माध्यम से सम्पादित की जाएगी। अगले शिक्षण सत्र (2024-25) से प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में RTE की धारा 12(1)(c) के तहत बच्चों का नामांकन भी इसी पोर्टल पर अभिभावकों से प्राप्त आवेदन के आलोक में की जाएगी। इससे संबंधित दिशानिर्देश इस कार्यालय के पत्रांक 505, दिनांक-15/06/2023 द्वारा पूर्व में निर्गत है। NIC की तकीनीकी सहायता दवारा निर्मित ज्ञानदीप पोर्टल का URL http://pmsonline.bih.nic.in/rte/ है। सुलभ संकेत हेतु पोर्टल के माध्यम से की जानेवाली प्रक्रियाएँ निम्नलिखित हैं।

1. **<u>विद्यालय का पंजीकरण:</u>**

ज्ञानदीप पोर्टल में provisional पंजीकरण हेतु निम्नलिखित दस्तावेज/जानकारी को सुनिश्चित करे:-

(i) प्रस्वीकृति प्राप्त विद्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र (सी.ओ.आर.), UDISE Code, स्थायी मोबाइल नंबर, स्थायी ईमेल एड्रेस, एफ़िलिएशन टाइप (स्टेट बोर्ड, सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.ई. इत्यादि)

(ii) विद्यालय के सामने से लिया गया फोटोग्राफ जिसमें विद्यालय का नाम स्पष्ट दिखाई दे रहा हो।

(iii) Provisional पंजीकरण पूर्ण होने पर विद्यालय को आईडी एवं पासवर्ड प्रदान की जाएगी।

दिए गए आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से विद्यालय ज्ञानदीप पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे उसके पश्चात निम्नलिखित जानकारी को प्रविष्ट करेंगे।

(iv) आवासीय और अल्पसंख्यक (धार्मिक या भाषाई) विद्यालय RTE 12(1)(c) के अंतर्गत नामांकन के लिए पात्र नहीं हैं। यदि किसी विद्यालय में आवासीय और डे स्कॉलर दोनों सुविधाएं हैं, तो RTE 12(1)(c) केवल डेज़ स्कॉलर भाग पर लागू होगा।

(v) यदि विद्यालय को सरकार से कोई अनुदान/ भूमि प्राप्त हुई हो तो उससे संबंधित दस्तावेज।

(vi) फीस की जानकारी के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा अनुमोदित दस्तावेज (सत्र 2019-20 से सत्र 2022-23 तक, प्रत्येक कक्षा के लिए)।

(vii) विद्यालय में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों का रिकॉर्ड आधार कार्ड सहित।

(viii) वास्तविक स्थिति के अनुसार विद्यालय के ढांचागत जानकारी; (जैसे भवन, टॉयलेट, पानी, रैम्प इत्यादि) सम्बंधी अभिलेख।

(ix) RTE 12(1)(c) के प्रतिपूर्ति की राशि के अंतरण के लिए विद्यालय के नाम से अलग बैंक खाता (व्यक्तिगत बैंक खाता मान्य नहीं है) का विवरण। कृपया सुनिश्चित करे के उल्लिखत खाता में सिर्फ RTE 12(1)(c) सम्बंधित लेनदेन के लिए उपयोग हो। पैन एवं टैन विवरण विद्यालय के नाम एवं संबंधित ट्रस्ट/सोसाइटी से सुमेलित होना चाहिए।

(x) विद्यालय सम्बंधित जानकारी के आखरी चरण में 'finalise application' पेज पर जाकर स्व-घोषणा देना होगा। उसके पश्चात बटन पर क्लिक करके सभी जानकारी सुरक्षित हो जायेगा। कोई भी जानकरी गलत पाए जाने की स्थिति में पूरी जिम्मेदारी विद्यालय प्रशासन की होगी तथा उनसे स्पष्टीकरण माँगा जा सकता है और संतोषप्रद जवाब ना मिलने पर नियमानुकूल कार्रवाई किया जा सकता है।

2. <u>छात्रों का पंजीकरण:</u>

पोर्टल पर विद्यालय के पंजीकृत होने के उपरांत विद्यालय में नामांकित छात्रों के सभी आवश्यक विवरण प्रविष्ट करेंगे।

(i) प्रवेश रजिस्टर (सत्र 2019-20 से सत्र 2023-24 तक) जिसमे RTE 12(1)(c) सहित अन्य नामांकित प्रवेशित छात्रों का रिकॉर्ड उपलब्ध हो।

(ii) वर्षवार (सत्र 2019-20 से सत्र 2023-24 तक) सभी छात्रों का उपस्थिति रजिस्टर, जिसमे बच्चों की उपस्थिति दर्ज किया गया हो।

(iii) छात्रों का विवरण भरते समय उनके मोबाइल नंबर, पता, आय प्रमाण पत्र, वर्ग एवं उपवर्ग, जन्मतिथि एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज की जानकारी सही है सुनिश्चित कर लें।

(iv) यदि किसी छात्र का नामांकन आय प्रमाणपत्र के बिना हुआ हो तो कृपया वर्तमान स्थिति में उनका आय प्रमाण पत्र बनवाकर जमा करना सुनिश्चित करे।

(v) छात्र के माता/पिता/अभिभावक में से किसी एक का आधार सत्यापन संख्या अनिवार्य है। आधार सत्यापन के दौरान आधार से लिंक मोबाइल नंबर उपलब्ध होना चाहिए। छात्र का आधार कार्ड वैकल्पिक होगा।

(vi) छात्रों के उपस्थति एवं कक्षा में उनके प्रदर्शन इत्यादि जानकारी सही भरना अनिवार्य है।

(v) समस्त छात्रों के विवरण भरने के पश्चात, विद्यालय एक-एक कर अथवा एक साथ छात्रों का चयन कर उसे लॉक करेंगे तथा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा सत्यापन के लिए प्रखंड स्तर पर भेज देंगे।

(vi) विद्यालयों द्वारा छात्रों का विवरण प्रखंड स्तर के सत्यापन के लिए अग्रेषित करने के बाद, अभिभावकों को मोबाइल नंबर पर RTE 12(1)(c) पंजीकरण सूचना प्राप्त होगी।

(vii) यदि कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो विद्यालय से स्पष्टीकरण लिया जायेगा, यदि स्पष्टीकरण संतोषप्रद न हो तो विद्यालय के प्रस्वीकृति/अनापति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकता है।

3. <u>प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी दवारा विद्यालय एवं छात्र विवरण का सत्यापन:</u>

NIC द्वारा दिए गए आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पोर्टल पर लॉगिन करके विद्यालयों की समस्त जानकारी डाउनलोड करेंगे एवं डाउनलोड किये गए दस्तावेज के अनुसार भौतिक सत्यापन को पूरा करेंगे। विद्यालयों के भौतिक सत्यापन के बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी स्वीकृत प्राप्त विद्यालयों को चुनकर पोर्टल में सबमिट करेंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के पास आवेदन को स्वीकार करने, अस्वीकार करने और विद्यालय द्वारा पुन: जांच के लिए वापस भेजने का विकल्प होगा।

भौतिक सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है जिन्हें सत्यापित करना अनिवार्य है:

(i) विद्यालय पंजीयन से सम्बंधित दस्तावेजों जैसे बोर्ड सम्बद्धता (Board Affiliation), विद्यालय प्रस्वीकृति (Certificate of Recognition)। यदि पंजीकरण प्रमाणपत्र की समय सीमा समाप्त हो गई है तो पंजीकरण नवीनीकरण दस्तावेजों का जाँच करना होगा।

(ii) यदि कोई विद्यालय किसी ट्रस्ट/सोसाइटी के अंतर्गत संचालित हो रहा है, तो उस ट्रस्ट/सोसाइटी के पंजीकरण दस्तावेज़।

(iii) बैंक खाते का विवरण।

(iv) विद्यालय का ढांचागत सुविधाओं का निरिक्षण करने के पश्चात् ही भौतिक सत्यापन।

(v) विद्यालयों में उपलब्ध शिक्षकों का रिकार्ड से, पोर्टल में दी गई जानकारी से मेल खाना चाहिए।

(vi) RTE 12(1)(c) के तहत नामांकित सभी छात्रों का दस्तावेज परिक्षण करना अनिवार्य है एवं कम से कम 10% अभिभावकों से (याद्दच्छिक चयन करके) व्यक्तिगत रूप से मिलकर निम्नलिखित विषय पर बात करे:

- क्या माता-पिता और विद्यालय प्रबंधन के बीच कोई वित्तीय लेनदेन है? - ट्यूशन फीस, ड्रेस और किताबों से संबधित लेनदेन
- क्या RTE 12(1)(c) के तहत नामांकित बच्चे या माता-पिता को विद्यालय/कक्षा/अभिभावक बैठक में किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है?
- यदि माता-पिता और बच्चे को विद्यालय में किसी अन्य चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

(vii) यदि विद्यालय और अभिभावकों के बीच (शिक्षण शुल्क, ड्रेस या किताब से संबंधित) कोई वित्तीय लेनदेन हुआ है, तो पदाधिकारियों को भविष्य के संदर्भ के लिए वित्तीय लेनदेन रसीद (विद्यालय और अभिभावकों के बीच) की एक प्रति एकत्र करनी होगी और प्रतिपूर्ति को अस्वीकार करना होगा। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उस विद्यालय को दोबारा जांच की श्रेणी में रखेंगे।

(viii) छात्रों का प्रवेश रजिस्टर (विशेषकर शिक्षण-सत्र 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए RTE धारा 12(1)(c) के तहत पढ़ने वाले कक्षा-1 से कक्षा-8 के छात्रों का) और विद्यालय द्वारा पोर्टल

में दी गई जानकारी के साथ मिलान करें। कमजोर एवं अलाभकारी दोनों समूह छात्रों के लिए आय प्रमाणपत्र और अलाभकारी समूह के छात्रों के लिए जाति/पात्रता प्रमाण पत्र। बर्तमान का आए प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।

4. **<u>जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन:</u>**
NIC द्वारा दिए गए आईडी एवं पासवर्ड के द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (एस.एस.ए.), पोर्टल में लॉगिन करके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा जाँच किए गए छात्रों की सूची डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड सूची को जिला स्तर पर गठित त्रिसदस्यीय समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेंगे। त्रिसदस्यीय समिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी (अध्यक्ष), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (एस.एस.ए.) (सचिव), एवं जिला पदाधिकारी द्वारा नामित उपसमाहर्ता स्तर के पदाधिकारी सदस्य होंगे। समिति द्वारा अनुमोदित सूची को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (एस.एस.ए.) राज्य स्तर पर अग्रेसित करेंगे। समिति को सूची अनुमोदित करने, निरस्त करने और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पुन: जांच के लिए वापस भेजने का विकल्प होगा।

5. **<u>राज्य स्तर पर प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान:</u>**
राज्य को जिला स्तर से अनुमोदित सूची प्राप्त होने के बाद डीबीटी के नोडल पदाधिकारी, प्रतिपूर्ति राशि पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से विद्यालयों के खाते में भुगतान करेंगे।

6. **<u>समयसीमा:</u>**
विद्यालय पंजीकरण, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालय एवं छात्रों का सत्यापन, जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन के लिए समयसीमा निर्धारित किया गया है। निर्धारित समयसीमा के लिए पत्रांक संख्या-**08/RTE-15-03/2023 795** को देखें।

<u>आधार जानकारी संबंधित घोषणा:</u>

प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार सरकार द्वारा यह घोषणा किया जाता हैं कि आधार से संबंधित जानकारी का उपयोग केवल RTE अधिनियम 2009, धारा 12(1)(c) के तहत लाभ सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा।

http://pmsonline.bih.nic.in/rte/

V-1, 01/09/2023